बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–48 / 2026 पटना / दिनांक

जल संसाधन विभाग, पटना अंतर्गत श्री सचिन कुमार (जे0 11081), कनीय अभियंता (असैनिक), पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल को J.C.Bose University of Science & Technology, YMCA, Faridabad में B-Tech (Lateral Entry, Civil) 8th Semester (नियमित डिग्री) पूर्ण करने हेतु दिनांक 01.01.2027 से 30.06.2027 तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम–180 एवं वित्त विभाग के अधिसूचना सं0 1911 वि0, दिनांक–14.02.1962 के कंडिका–03(क) में निहित प्रावधानों के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार को उक्त शिक्षा पूर्ण करने हेतु विभागीय अनुमति सशर्त्त प्रदान की जाती है कि उनके अध्ययन / परीक्षा में शामिल होने पर सरकारी कार्यो में व्यवधान उत्पन्न न हो।

3. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के पत्रांक–2848 दिनांक–18.09.2026 के क्रम में / अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा / कार्यपालक अभियंता, पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल / श्री सचिन कुमार (जे0 11081), कनीय अभियंता (असैनिक), पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– 6142 पटना, दिनांक – 23/10/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M.A.S 16/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।